निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-25 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा** के माह **12/2013** से **10.2016** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं **श्री सूर्य पाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक **05.11.2016** से **09.11.2016** तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा **श्री टी.एस.नेगी,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं **श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक **11.12.2013** से **17.12.2013** तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **04/2008** से **11/2013** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **12/2013** से **10/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(ii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **जिला अल्मोड़ा**

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ☐ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	0	0	5129641	4193481	7306599	5646862	0	2615884
2014-15	0	0	3397000	3289601	6120251	5557267	0	929487
2015-16	0	0	1836000	1835828	6950812	6846594	0	104390
2016-17 (10/2016 तक)	0	0	2823000	598102	8046872	4820517	0	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ☐ में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
2013-14	षष्ठम आर्थिक गणना	0	3277570	2970866	-	306704
2014-15	-	0	0	0	-	0
2015-16	-	0	35000	34996	-	04
2016-17 (10/2016 तक)	-	0	0	0	-	0

(iv) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन** श्रेणी **'सी'** की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

निदेशक, अर्थ एवं संख्या
अपर निदेशक, अर्थ एवं संख्या
संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या
उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में ..... (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2015 एवं 03/2014** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला नवाचार निधि के द्वारा "समुदाय आधारित/व्यक्तिगत जल संरक्षण टैंको का निर्माण पेयजल आपूर्ति हेतु"** (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की **धारा 13 एवं 16**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-1 जिला नवाचार निधि के अन्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट 'समुदाय आधारित/व्यक्ति जल संरक्षण टैंको का निर्माण पेयजल आपूर्ति हेतु' का क्रियान्वयन करने में असफलता तथा ` 599000 का निष्फल व्यय।

13 वें वित्त आयोग में 'जिला नवाचार निधि' के अन्तर्गत स्वयं सेवी संस्थान महादेव ग्राम एवं पर्यावरण विकास समिति, रानीखेत को 'समुदाय आधारित/व्यक्ति जल संरक्षण टैंको का निर्माण पेयजल आपूर्ति हेतु' योजना दिनांक टैंको का निर्माण पेयजल आपूर्ति हेतु' योजना दिनांक 23.05.2013 को सशर्त हस्तान्तरित की गयी कार्य योजना का बजट ₹1995000 स्वीकृत किया गया था।

सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्वीकृत धनराशि का 30 प्रतिशत अर्थात ₹ 599000 दिनांक 26.06.2013 को स्वयं संस्थान को अवमुक्त की गयी। संस्था द्वारा प्रथम किश्त खर्च किये जाने के उपरान्त कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया गया तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा द्वारा निरीक्षण में कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी इसी क्रम में दिनांक 02.07.2014 को मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा संस्था से प्रथम किश्त की Recovery के लिये संस्तुति की गयी जिसे जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा द्वारा सहमति प्रदान की गयी। लेखापरीक्षा तक विभाग से कोई वसूली नहीं की गयी।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि इस सम्बन्ध में निदेशालय से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर मान्य नहीं है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः-01 सफल निविदादाताओं से ☐ 0.85 लाख की कार्यपूर्ति धरोहर राशि का न लिया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के नियम 21 (1) के अनुसार संविदा के सम्यक रुप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदादाता, जिसके पक्ष में संविदा दी गई हो, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) ली जायेगी। कार्यपूर्ति धरोहर प्रत्येक सफल निविदादाता से उसके पंजीकरण की प्रास्थिति आदि पर ध्यान दिये बगैर ली जायेगी। अनुबन्ध में निहित धनराशि के मूल्य को दृष्टि में रखते हुए कार्यपूर्ति प्रतिभूति संविदा के मूल्य की 5% से 10% होनी चाहिए। कार्यपूर्ति प्रतिभूति वाणिज्यिक बैंक से निर्गत अदाता के नाम (एकाउन्ट पेई) डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारन्टी, जिस स्वरुप में विभाग/सक्षम प्राधिकारी के हित सभी प्रकार से सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो, ली जानि चाहिए।

कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा के वर्ष 2014-15 के कम्प्यूटर खरीद हेतु सफल निविदादाता निम्न हैं-

क्र0 सं0	निविदादाता संस्था	सामग्री का नाम	यूनिट	कुल मूल्य
1.	**NR2 infotech, Haldwani**	डेस्कटांप कम्प्यूटर	36	☐1394820
2.	**CGM Computers**	**UPS** एवं स्कैनर	36/01	☐175780
3.	**iSoft**	लेजर प्रिंटर	12	☐127313
योग				☐1697913

नियमानुसार सफल निविदादाताओं से ☐1698913 के सापेक्ष (5%) ☐ 84895 निविदा कार्यपूर्ति धरोहर राशि ली जानी चाहिए थी, जोकि नहीं ली गयी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि संबंधित खरीद जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से की गयी है एवं प्रश्नगत आपत्ति से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध होने पर लेखपरीक्षा को सूचित किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं क्योंकि सफल निविदादाताओं से कार्यपूर्ति धरोहर राशि न लिया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-31/2013-14	-	01
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-31/2008-09	-	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-31/2013-14	**भाग-2-ब प्रस्तर-01:** "जिला नवाचार निधि के अन्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट 'Social Waste Management' क्रियान्वयन करने में असफलता"	"जिला नवाचार निधि" के अन्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट 'Social Waste Management' का क्रियान्वयन के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना क्रियान्वित न होने के कारण राज्य स्तरीय समिति द्वारा निरस्त कर दी गयी है। अतः प्रस्तर निरस्त करने की कृपा करें।	अनुपालन आख्या में उच्चाधिकारी की संस्तुति के अभाव में प्रस्तर यथावत रखा जाना प्रस्तावित है।	
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-31/2008-09	**भाग-2-ब प्रस्तर-01:** "इन्टरनेट कनैक्टिविटी हेतु आई.एस.डी.एन.एल. सेवा पर ☐4.00 लाख का निरर्थक व्यय"	निदेशक अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 252/ दिनांक 12.02.2004 में दिये गये आदेशानुसार रा.सू.विज्ञान केन्द्र अल्मोड़ा से परामर्श करने के उपरान्त ही आई.एस.डी.एन. द्वारा इन्टरनैट कनैक्टिविटी लगाई गयी थी चूंकि वर्ष 2003-04 में जनपद अल्मोडा में ब्राडबैण्ड द्वारा इन्टरनैट कनैक्टिविटी की सुविधा नहीं थी। आई.एस.डी.एन. द्वारा इन्टरनैट कनैक्सन लगाने हेतु कम्प्यूटर यू.पी.एस. एवं मोडेम खरीदे गये। निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्रांक 1206/इण्टरनैट कने0 दिनांक 16.07.2007 द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में कार्यालय पत्रांक 1324/3ले0-79/2004-05 दिनांक 29.08.2007 को आई.एस.डी.एन. द्वारा इन्टरनैट कनैक्शन कटवाकर ब्राडबैण्ड द्वारा इण्टरनैट कने0 लगायी गयी। अतः कृपया प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।	आई.एस.डी.एन. द्वारा इन्टरनैट कनैक्शन कटवाकर ब्राडबैण्ड द्वारा इण्टरनैट कने0 लगायी गयी है। इकाई का उत्तर तर्कसंगत है। अतः प्रस्तर निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः- शून्य**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	**डा0 इला पन्त बिष्ट**	अर्थ एवं संख्याधिकारी	16.11.2013	16.08.2016
2.	**श्री जी.एस.कालाकोटी**	अर्थ एवं संख्याधिकारी	23.07.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून C-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र